OFFICE OF THE PROJECT DIRECTOR
STATE MISSION FOR CLEAN GANGA -UTTAR PRADESH
DEPARTMENT OF NAMAMI GANGE & RURAL WATER SUPPLY
PLOT NO. 18, SECTOR-7, GOMTI NAGAR EXTENSION, LUCKNOW- 226010,
UTTAR PRADESH
E-mail : apd@smcg-up.org, www.smcg-up.org

Reference No: 752/90/SMCG-U.P/02 Date: July 04, 2023

सेवा में,

अध्यक्ष-जिला गंगा समिति/जिलाधिकारी-वाराणसी, प्रयागराज, ग़ाज़ीपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही, फर्रुखाबाद, प्रतापगढ़, उन्नाव,
कानपुर, रायबरेली, बलिया
उत्तर प्रदेश।

विषय: उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में गिरने वाले नालों से नदियों में प्रदूषण
संदर्भ: CPCB letter F.No. PJ/2/2002-WQM-II-HO-CPCB-HO dated June 21, 2023

महोदया/ महोदय,

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) के सहयोग से 19 दिसंबर 2022 से 01 मार्च 2023 तक, गंगा और उसकी सहायक नदियों (पांडु, यमुना, मूरवा, जारगो, ओझला, मनशैता और दुआर) में गिरने वाले 265 नालों की संयुक्त निगरानी की गयी। निगरानी के दौरान निम्न तथ्य दृष्टिगत हुए हैं।

क्रमांक	निष्कर्ष	प्रभावित नालों की संख्या	नदी	स्थान	सूची अनुलग्नक
1	नालों में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक है	5	गंगा और यमुना	रामनगर वाराणसी, ग़ाज़ीपुर, मीरापुर प्रयागराज, उन्नाव	I
2	उच्च धातु (heavy/trace metals) सांद्रता (मैंगनीज, कुल क्रोमियम और लोहा)	17	गंगा, वरुणा, यमुना, मनशैता	गंगा: डलमऊ उन्नाव, मिर्ज़ापुर, कानपुर, ग़ाज़ीपुर, बलिया। वरुणा: वाराणसी. यमुना:प्रयागराज. मानशैता:प्रयागराज	II
3	अंतरिम उपचार उपाय का अकुशल और खराब रखरखाव/गैर-परिचालन	28	गंगा, वरुणा, यमुना, मनशैता, मूरवा, मनशैता	मुगलसराय, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, ग़ाज़ीपुर, कानपुर, भदोही, प्रतापगढ़, रायबरेली	III
4	अपर्याप्त/क्षतिग्रस्त टैपिंग	23	गंगा और यमुना	फर्रुखाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, कानपुर	IV
5	नालों के किनारे ठोस अपशिष्ट का डंपिंग	77	गंगा, वरुणा, जारगो	फरुखाबाद, कानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, मुगलसरिया, ग़ाज़ीपुर, बलिया	V

अपशिष्ट जल में रंग, बीओडी (BOD), सीओडी (COD) और उच्च/ट्रेस धातुओं (Heavy/Trace Metals) के उच्च मूल्य, वाणिज्यिक/औद्योगिक गतिविधियों से निर्वहन का संकेत देते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की जल गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही का सुझाव दिया गया है।

1. प्रदूषण के स्रोतों की जानकारी हेतु चिन्हांकन अभ्यास करते हुए इन स्रोतों के उद्गम के कारकों (commercial/industrial) पर निवारण हेतु उचित कार्यवाही की जाये **(Annexure-I & II)**;
2. अप्रभावी अंतरिम उपचारात्मक उपायों (Phyto Remediation/Bio Remediation) को तुरंत ठीक किया जाए **(Annexure III);**
3. टूटे/क्षतिग्रस्त/अस्थायी टैपिंग प्रावधानों वाले कुछ नालों की तुरंत मरम्मत की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि सीवेज पंपिंग स्टेशन लगातार संचालित हों ताकि टैप किए गए नालों के माध्यम से कोई अपशिष्ट जल नदियों में न उत्प्रवाहित हो **(Annexure IV)**;
4. चिन्हित नालियों के किनारे निस्तारित ठोस अपशिष्ट को तुरंत हटाएं और सुरक्षित वैज्ञानिक तरीके से निपटान करें **(Annexure-V)** ।

जिला गंगा समिति को अपनी मासिक बैठक के दौरान चर्चा के लिए उपरोक्त विषय को एजेंडा बिंदु के रूप में शामिल किया जाना चाहिए और संबंधित अधिकारियों को उपरोक्त पहचाने गए उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करना चाहिए।

जिला गंगा समिति को Action Taken Report पत्र प्राप्ति के १५ दिन के अंदर राज्य गंगा समिति-उत्तर प्रदेश/राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उत्तर प्रदेश के कार्यालय को प्रस्तुत करना वांछित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

(डॉ. बलकार सिंह)
परियोजना निदेशक/सचिव
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(i) निजी सचिव, महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली को सूचनार्थ ।

(ii) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को सूचनार्थ ।

(iii) संयुक्त प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण/ नगरीय) को इस आशय से प्रेषित की वे अपने स्तर से भी उपरोक्त बिंदु संख्या 3 पर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(iv) सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सीपीसीबी द्वारा सुझाए गए मुद्दों को क्रियान्वित करने के लिए संबंधित डीजीसी को सहयोग प्रदान करने के अनुरोध के साथ ।

(v) निदेशक, शहरी निकाय निदेशालय को इस आशय से प्रेषित की वे अपने स्तर से भी उपरोक्त बिंदु संख्या 2 पर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(vi) सदस्य संयोजक, डीजीसी - वाराणसी, प्रयागराज, ग़ाज़ीपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही, फर्रुखाबाद, प्रतापगढ़, उन्नाव, कानपुर, रायबरेली, बलिया को इस आशय से प्रेषित की वे समस्त सम्बंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

03-07-23

परियोजना निदेशक/सचिव
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग